न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.)बालोतरा,जिला–बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः– श्री राजेशकुमार, आर.ए.एस.
राजस्व अपील संख्या :– 08/2023
जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2023/349

अपीलार्थी	बनाम	उत्तरदातागण
1.मिश्रीमल पुत्र आसुलाल 2.दिलीपकुमार पुत्र आसूलाल जाति आचार्य निवासी पाटोदी तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा 3.श्रीमति सूरजदेवी पत्नि मोहनलाल जाति सोनी निवासी पाटोदी तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा		1.पुखराज पुत्र पोलाराम 2.गोमाराम पुत्र पोलाराम 3.हरिश पुत्र पोलाराम जाति मेगवाल निवासी पाटोदी तहसील पचपदरा 4.सरपंच ग्राम पंचायत पाटोदी तहसील पचपदरा

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 2159 जो सरपंच ग्राम पंचायत पाटोदी द्वारा आदेश दिनांक 05.8.2022 को स्वीकृत किया गया।

उपस्थिति :–

1.श्री मिश्रीमल अपीलाटं संख्या 01 उपस्थित।
2.श्री भूपेन्द्र गहलोत अधिवक्ता उतरदाता संख्या 01 से 03 की ओर से उपस्थित।
3. उतरदाता संख्या 04 एकपक्षीय।

आदेश

दिनांक 29.09.23

1.संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है,कि ग्राम पाटोदी तहसील पचपदरा की मूल खसरा संख्या 3720 रकबा 4–09 बीधा भूमि अवस्थित थी। जिसके सहखातेदार पोलाराम पुत्र मोड़ाराम द्वारा अपने हिस्से की कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ सम्परिवर्तन 186 वर्गमीटर करवाया गया जिसका नामान्तकरण संख्या 1266 दिनांक 30.8.2001 के द्वारा राजस्व रेकर्ड में [illegible] 3720/11 कायम हुए और वर्तमान खसरा संख्या 4108/3720 है। [illegible] खातेदारी भूमि रकबा 93 वर्गमीटर भूमि अपीलाण्ट संख्या 1 व 2 को विक्रय पत्र क्रमांक 2007000065 व 93 वर्गमीटर भूमि अपीलाण्ट संख्या 03 श्रीमति सूरजदेवी पत्नि मोहनलाल जाति सोनी साकिन पाटोदी को विक्रय पत्र क्रमांक 2007000066 दिनांक 22.1.2007 को बेचान किए गए और वक्त खरीद से आदिनांक अपीलाण्ट का कब्जा चला आ रहा है। अपीलाण्टस के नाम नामान्तकरण नहीं भरा गया

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2023.10.25 19:20:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

पोलाराम का नाम रेकर्ड में यथावत रहा और पोलाराम के फोत होने पर उसके वारिसान उतरदाता संख्या 1 से 3 के पक्ष में नामान्तरण संख्या 2159 दिनांक 05.08.2022 द्वारा ग्राम पंचायत पाटोदी अपीलाधीन नामान्तकरण पारित कर दिया गया,जो कि नियम से परे जाकर आदेश किया गया है। अतः अपीलाण्टस की अपील अन्दर म्याद सुमार कर स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण निरस्त करते हुए विवादित भूमि में उतरदाता संख्या 01 से 3 के स्थान पर अपीलाण्टस का नाम दायर करवाने हेतु अपील पेश की गई।

2.अपीलाण्ट की अपील म्याद के बिन्दु को सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की गई। उतरदाता को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। उतरदाता संख्या 1 से 03 की ओर से अधिवक्ता श्री भूपेन्द्र गहलोत द्वारा वकालतनामा पेश किया तथा उतरदाता संख्या 1 से 03 की ओर से अपील के तथ्यों को स्वीकार करते हुए इकबालीया जबाव पेश किया। शेष उतरदाता संख्या 04 को सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.अपीलाण्ट व उतरदाता संख्या 1 से 3 अधिवक्ता की बहस सुनी गई। अपीलाण्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि ग्राम पाटोदी तहसील पचपदरा की मूल खसरा संख्या 3720 रकबा 4-09 बीघा भूमि अवस्थित थी। जिसके सहखातेदार पोलाराम पुत्र मोडाराम द्वारा अपने हिस्से की कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ सम्परिवर्तन रकबा 186 वर्गमीटर करवाया गया,जिसका नामान्तकरण संख्या 1266 दिनांक 30.8.2001 के द्वारा राजस्व रेकर्ड में खसरा संख्या 3720/11 कायम हुए और वर्तमान खसरा संख्या 4108/3720 है। उतरदाता के पिता पोलाराम द्वारा अपनी खातेदारी भूमि रकबा 93 वर्गमीटर भूमि अपीलाण्ट संख्या 1 व 2 को विक्रय पत्र क्रमांक 2007000065 व 93 वर्गमीटर भूमि अपीलाण्ट संख्या 03 श्रीमति सूरजदेवी पत्नि मोहनलाल जाति सोनी साकिन पाटोदी को विक्रय पत्र क्रमांक 2007000066 दिनांक 22.1.2007 को बेचान किए गए और वक्त खरीद से आदिनांक अपीलाण्ट का कब्जा चला आ रहा है। अपीलाण्ट की ओर से भूमि क्रय करने के बाद बेचानपत्र की प्रतिया तत्कालीन हल्का पटवारी को दी जाकर निवेदन किया कि पोलाराम का सम्पूर्ण रकबा हम अपीलण्टस की ओर क्रय कर दिया गया और अब पोलाराम का विवादित भूमि में कोई हिस्सा शेष नहीं रहा है,जो बेचानपत्रों के आधार पर अपीलाण्टस के नाम नामान्तकरण भरा जावें तथा तत्कालीन हल्का पटवारी द्वारा अपीलाण्टस को विश्वास दिलवाया गया था,कि बेचानपत्रों के अनुसार अपीलण्टस के पक्ष में नामान्तकरण भर दिया जावेगा। इस विश्वास के कारण अपीलाण्टस यही समझते रहे कि बेचानपत्रों के अनुसार अपीलाण्टस के पक्ष में नामान्तकरण भर दिया गया है। लेकिन अभी अपील पेश करने से पूर्व हमारे द्वारा जमीन की आवश्यकता होने के कारण हल्का पटवारी से विवादित भूमि की जमाबंदी नकल देने के कहा गया तो पटवारी ने बताया कि अपीलाण्टस का नाम जमाबंदी में दर्ज नहीं हो रखा है। पोलाराम के फोत होने पर उनके वारिसान पुत्रों के नाम जमाबंदी में दर्ज हो रखें है,तो हम द्वारा उप तहसीलदार पाटोदी को अपीलाण्टस के पक्ष में नामान्तकरण भरने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया,जिसमें जांच रिपोर्ट में भी हमारे नाम नामान्तकरण भरने की अनुशंषा की गई। लेकिन तहसीलदार पचपदरा द्वारा नामान्तकरण हमारे पक्ष

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2023.10.25 19:20:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

से भरने से इन्कार कर दिया गया। तब माननीय न्यायालय मे नियम विरुद्ध पारित समस्त ग्राम पंचायत पाटोदी के नामान्तकरण संख्या 2159 आदेश दिनांक 05.8.2022 के विरुद्ध अपील जानकारी होने के भीतर अन्दर म्याद पेश की गई। अपनी बहस को जारी रखते हुए अपीलाण्ट ने निवेदन किया कि अपीलाण्ट गांव के निवासी है और कानूनी जानकारी के अभाव के कारण अपील मे हुए देरी को माफ करते हुए अपीलण्टस की अपील अन्दर म्याद स्वीकार किया जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 2159 आदेश दिनांक 05.8.2022 को अपास्त किया जाकर ग्राम पाटोदी तहसील पचपदरा की खसरा नम्बर 4108/3720 रकबा 0.1295 हैक्टयर भूमि के सहखातेदार पोला पुत्र मोड़ा के फोत होने पर उतरदाता संख्या 1 से 3 के नाम इन्द्राज प्रविष्टि निरस्त करते हुए अपीलाण्टस क्रेताओं के नाम राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज करने के आदेश फरमाया जावे।

4.उतरदाता संख्या 1 से 3 की ओर से अधिवक्ता ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि ग्राम पाटोदी की खसरान संख्या 3720 मी.(नया खसरा संख्या 4108/3720) रकबा 4.(?) बीघा मे से 186 वर्गमीटर की भूमि दिनांक 16.11.99 को आदेश पारित कर अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन कर पोलाराम पुत्र मोडाराम जाति मेघवाल निवासी पाटोदी के पक्ष से नामान्तकरण संख्या 1266 30.8.2001 के द्वारा नवीन संख्या 3720/11 रकबा 0.16 बिस्वा (1304 वर्गमीटर) मे हिस्सा 186/1304 दर्ज करने इत्यादी के तथ्य सही है। कि उक्त भूमि को उतरदाता संख्या 1 से 3 के पिता पोलाराम द्वारा अपीलाण्टस के पक्ष मे दो अलग अलग बेचानपत्र के जरीये भूमि बेचान दिनांक 22.01.2007 को कर दी गई थी और वक्त खरीद कब्जा अपीलाण्टस को सुपुर्द कर दिया गया था। उतरदाता संख्या 1 से 3 के पिता पोलाराम का कोई हिस्सा शेष नही रहा था। लेकिन राजस्व रेकर्ड में अपीलाण्टस के नाम नामान्तकरण भूलवंश भरा नही गया और उतरदाता संख्या 1 से 3 के पिता पोलाराम का नाम रेकर्ड मे यथावत चला और पोलाराम के फोत होने पर उनके वारिसान उतरदाता संख्या 1 से 3 के नाम अपीलाधीन नामान्तकरण पारित किया गया,जो कि गलत नामान्तकरण पारित हुआ है। क्योकि उतरदाता संख्या 1 से 3 का विवादित भूमि मे कोई हक हकूक निहित नही है,क्योकि उनके पिता पोलाराम द्वारा सम्पूर्ण भूमि का बेचान अपीलाण्टस के पक्ष मे कर दिया गया था। अपीलाण्टस का ही कब्जा चला आ रहा है। लेकिन पोलाराम के फोत होने पर माननीय भूलवश उतरदाता संख्या 1 से 3 के नाम नामान्तकरण भर दिया गया था,जो हकदार नही है। अपनी बहस को आगे जारी रखते हुए उतरदाता अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 2159 आदेश दिनांक 05.8.2022 को अपास्त किया जाकर अपीलाण्टस के नाम नये सिरे से नामान्तकरण भरा जाता है,तो उतरदाता संख्या 1 से 3 को [illegible]

5.हम प्रकरण को सर्वप्रथम म्याद के बिन्दु पर निर्णीत [illegible] पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन एवं नामा[illegible] से स्पष्ट है कि अपीलाधीन नामान्तकरण विधि विरूद्ध पारित किया गया है,क्योकि [illegible]लाधीन भूमि का उतरदाता संख्या 1 से 3 के पिता पोलाराम द्वारा अपने जीवनकाल मे जरीये पंजीबद्ध विक्रय पत्रो के द्वारा अपीलाण्टस को भूमि बेचान कर दी गई थी और उक्त विक्रय पत्रो के मुताबिक तत्कालीन हल्का पटवारी को नामान्तकरण भरा जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा तत्कालीन समय नही किया और

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2023.10.25 19:20:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

पोलाराम का अपीलाधीन भूमि में नाम यथावत रहा और पोलाराम के फोत होने पर फौतदगी नामान्तकरण उतरदाता संख्या 1 से 3 के पक्ष में भरा गया,जो नियम से परे जाकर आदेश पारित किया गया है,ऐसे आदेश प्रारम्भतः शून्य एवं निष्प्रभावी की श्रेणी में आतें है,इसके लिए म्याद का बिन्दु बनता ही नही है। क्योंकि जो प्रारम्भतःविधि विरूद्व भरा गया नामान्तकरण म्याद की परिधि में आता ही नहीं है। ऐसी दशा में म्याद के सम्बन्ध में उदार द्दष्टिकोण अपनाया जाना विधि और विधिक प्रक्रिया की प्राथमिक आवश्यकता है। अपीलांट ग्रामीण परिवेश में होने तथा उनके द्वारा सम्बन्धित पटवारी से विवादित आराजी की नकल प्राप्त करने पर स्वंय का नाम भू अभिलेख में दर्ज नहीं होने की जानकारी होने के अन्दर म्याद अपील प्रस्तुत किए जाने के आधार पर विलम्ब काल को माफ किये जाने के निवेदन को स्वीकार करना कानूनन उचित समझतें है। क्योकि विधि एवं विधिक प्रक्रिया का प्राथमिक उदद्वेश्य यह होता है कि निर्णय गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए। प्रक्रियागत प्रावधान निर्णय में साधन के रूप में होते है न कि स्वंय साध्य के रूप में। अतः अपीलांट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम बखूबी साबित होने से एवं विधि संगत होने से स्वीकार किया जाना हम आवश्यक एवं उचित समझतें है।

6.हमनें अपीलाण्ट व उतरदाता संख्या 1 से 3 अधिवक्ता की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड,दस्तावेजात व अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 2159 का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि विवादित भूमि के सहखातेदार पोलाराम पुत्र मोडाराम जाति मेगवाल द्वारा ग्राम पाटोदी की मूल खसरा संख्या 3720 रकबा 4–09 बीधा में अपने हिस्से की 186 वर्गमीटर कृषि भूमि से अकृषि प्रयोजनार्थ सम्परिवर्तन विहित प्राधिकारी अधिकारी तहसीलदार पचपदरा से करवाई गई,जो सम्परिवर्तन आदेश क्रमांक 1387–90 दिनांक 16.11.1999 के द्वारा हुई, जो पत्रावली के संलग्न छाया प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है। पोलाराम द्वारा 186 वर्गमीटर भूमि में से रकबा 93 वर्गमीटर अपीलाण्ट संख्या 1 व 2 को विक्रय–पत्र क्रमांक 2007000065 व 93 वर्गमीटर भूमि अपीलाण्ट संख्या 03 श्रीमति सूरजदेवी पत्नि मोहनलाल जाति सोनी साकिन पाटोदी को विक्रय–पत्र क्रमांक 2007000066 दिनांक 22.1.2007 को बेचान किए गए। इस प्रकार विवादित भूमि में पोलाराम का कोई हक हकूक नहीं रहा और उक्त विक्रयपत्रों के आधार पर क्रेताओं अपीलाण्टस के पक्ष में तत्कालीन हल्का पटवारी को नामान्तकरण पारित किया जाना चाहिए था,लेकिन उक्त विक्रय–पत्रों के आधार नान्दीय मूलदंश अपीलाण्टस के पक्ष में नामान्तकरण पारित नहीं किया गया। उतरदाता संख्या 1 से 3 के पिता पोलाराम का राजस्व रेकर्ड में यथावत नाम चलता रहा और पोलाराम के फोत होने पर सरपंच ग्राम पंचायत पाटोदी द्वारा विरासत का नामान्तकरण बिना जांच पड़ताल किए उसके वारिसान उतरदाता संख्या 1 से 3 के पक्ष में पारित कर दिया गया,जो कि विधि विरूद्व आदेश पारित किया गया है। जबकि ग्राम पंचायत का उतरदायित्व बनता है कि ऐसे फौतदगी नामान्तकरण पारित करने से पूर्व समग्र जांच पडताल के उपरांत विधिक कार्यवाही करतें हुए नामान्तकरण [illegible] का आदेश किया जाना चाहिए। लेकिन हस्तगत अपील में ऐसा नहीं किया,जबकि पोलाराम द्वारा अपना हक हकूक जरिये विक्रय–पत्रों के अपीलाण्टस के पक्ष में कर दिए गए थे,लेकिन तत्कालीन हल्का पटवारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2023.10.25 19:20:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

की भूल से अपीलाण्टस के पक्ष में नामान्तकरण नहीं भरा गया। अपीलाण्टस की ओर से उप तहसीलदार पाटोदी को विवादित भूमि में अपने पक्ष में नामान्तकरण पारित करने की प्रार्थना पत्र पेश की गई थी,जिसमे उप तहसीलदार पाटोदी द्वारा अपनी समक्ष जांच रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि पोलाराम द्वारा अपना हिस्सा भूमि का बेचान अपीलाण्टस के पक्ष में कर दिया गया था और उक्त विक्रय-पत्रो के आधार पर नामान्तकरण भूलवंश अपीलाण्टस के पक्ष में दर्ज करने से रह गया था। अपीलाण्टस का ही वक्त खरीद से आदिनांक कब्जा है और उतरदाता संख्या 1 से 3 के पक्ष मे गलत नामान्तकरण पारित हुआ है। इस प्रकार यह भली भांति स्पष्ट है कि अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 2159 नियम से परे जाकर पारित हुआ है,जो निरस्त योग्य है। उतरदाता संख्या 1 से 3 स्वंय ने न्यायालय मे उपस्थित होकर जरीये अधिवक्ता इकबाली जबाव पेश कर अपीलण्टस के अपील के समस्त तथ्यों को स्वीकार किया तथा यह भी स्वीकार किया कि अपीलाधीन भूमि में हमारे पिता द्वारा अपना सम्पूर्ण हक हिस्से का बेचान अपीलाण्टस के पक्ष में कर दिया था,लेकिन भूलवंश हमारे पिता पोलाराम का नाम रेकर्ड में यथावत रहा और पोलाराम के फोत होने पर हमारे नाम फोतगी नामान्तकरण भरा गया,जो गलत आदेश पारित हुआ है। क्योकि विवादित भूमि में हमारा कोई हक हिस्सा नहीं है। इस प्रकार समग्र विवेचन से यह भली भांति स्पष्ट है कि अपीलाधीन नामान्तकरण अपास्त योग्य है और अपीलाण्टस अपने पक्ष में नामान्तकरण पारित करवाने के हकदार है।

7. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हम नामान्तरण संख्या 2159 दिनांक 05.08.2022 को अपास्त कर दिनांक 22.01.2007 को पंजीबद्ध विक्रय–पत्रों के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज करने के आदेश देना उचित एवं न्यायसंगत समझते हैं।

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः अपील अपीलांट अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 मय प्रार्थना पत्र धारा–5,परिसीमा अधिनियम–1963 भली भांति साबित होनें एवं सारवान होने से स्वीकार की जाती है। अपील में हुए विलंब काल को माफ किया जाता है। लिहाजा अपीलाण्टस की अपील अन्दर म्याद सुमार कर स्वीकार की जाती है,ग्राम पंचायत पाटोदी के नामान्तकरण संख्या 2159 पर पारित सरपंच ग्राम पंचायत पाटोदी के आदेश दिनांक 05.8.2022 को अपास्त कर,ग्राम पाटोदी तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 4108/3720 क्षेत्रफल 0.1295 हैक्टयर भूमि में उतरदाता संख्या 01 से 3 का राजस्व रेकर्ड(जमाबंदी) में अंकित प्रविष्टि विलोपित करते हुए उनके स्थान पर अपीलाधीन भूमि में बेचान दस्तावेज क्रम संख्या [illegible] दिनांक 22.1.2007 अनुसार नामान्तकरण अपीलाण्टस के हक में नये सिरे से पारित [illegible] तहसीलदार पचपदरा को आदेशित किया जाता है। तहसीलदार [illegible] अमल दरामद कर पालना से अवगत करवायें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2023.10.25 19:20:08 IST
Reason: SelfAttested

(राजेशकुमार)
उपखण्ड अधिकारी
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

आदेश आज दिनांक 29.9.23 को लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा